लय उपखण्ड ~~अधिकारी गोविन्दगढ~~ जिला अलवर

2/51/22 तारीख रजू 09.11.22

बनाम

असलूप महमूदा वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 383/298, 154, 155, 159, 274, वाके ग्राम कचरोटी एवं आराजी खसरा नं0 104, वाके ग्राम मस्तपुर तहसील गोविन्दगढ की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थी गण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.11.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दियां जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) 29.11.22 उमवदी पेश। /P.O. साहब ....है। स्थानान्तरण पर पत्रावली दिनांक 6.12.22 को पेश हो रीडर 6.12.22 उमवदी पेश। /P.O. साहब ....है। स्थानान्तरण पर पत्रावली दिनांक 10.1.23 को पेश हो रीडर	

फर्द अहकाम

...य उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)
असलूप बनाम महमूदा

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	18.9.23 ......मुवक्किल हाजरी......उपस्थित साबिक आदेश दिनांक.....09.11.22 की पालना में पत्रावली वास्ते.....तलबी रजिस्टर्ड डाक से अभिभाषक दिनांक 13.10.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
	13.10.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....अवकाश ......कार्य में व्यस्त......है। पत्रावली दिनांक.....03.11.23.....को पेश हो। रीडर	
	03.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....प्रवास ......कार्य में व्यस्त......है। पत्रावली दिनांक.....12.12.23.....को पेश हो। रीडर	
	12.12.23 ......मुवक्किल हाजरी......उपस्थित साबिक आदेश दिनांक.......................... की पालना में पत्रावली वास्ते.....तलबी शेष 1803 दिनांक 09.1.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
	09.01.24 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....V.B.S.Y..... ..कैम्प कार्य में व्यस्त......है। पत्रावली दिनांक..06/02/24..को पेश हो। Ankit रीडर	
06.2.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घावधि से तलबी अहलमदी सं. 1803 मे है। तलबी हेतु तलबाना पेश करने के बाबत से अनेक अवसर प्रदान किये गये है। परन्तु ~~तलबाना~~ पुन तलबाना पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र-212 RTA CPC के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। बाद तामिल तकमील सूत 915 के साल संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	